बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/योजना छात्रवृत्ति–08/2009–   पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना बजट प्रावधान के अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख) एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में आकस्मिक व्यय हेतु रू0 38.00 लाख (रूपये अड़तीस लाख) अर्थात कुल रू0 68.00 लाख (अड़सठ लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के उपलब्धता के आलोक में प्रावैधिकी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख) एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में आकस्मिक व्यय हेतु रू0 38.00 लाख (रूपये अड़तीस लाख) अर्थात कुल रू0 68.00 लाख (अड़सठ लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2014–15 के राज्य योजना के मांग संख्या 11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101 शिक्षा–3401 छात्रवृत्ति/वजीफा एवं 1301 कार्यालय व्यय विपत्र कोड संख्या–P2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। वे राशि को नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी हीं की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय। वे संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेजेंगे।

6– इस संबंध में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(बी0 प्रधान)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/योजना छात्रवृत्ति–08/2009– 54   पटना, दिनांक– 11-12-14

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Bimbadhar Pradhan
प्रधान सचिव। 10/12/14

Letter of Princ.Secy.(Harry)

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रावैधिकी छात्रवृत्ति मद एवं कार्यालय व्यय में स्वीकृत राशि की विवरणी

(रू0 लाख में)

क्र0	जिला का नाम	प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	कार्यालय व्यय	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	3.70	1.00	**4.70**
2	नालंदा	1.00	1.00	**2.00**
3	रोहतास	1.00	1.00	**2.00**
4	भभुआ	0.40	1.00	**1.40**
5	भोजपुर	0.50	1.00	**1.50**
6	बक्सर	0.50	1.00	**1.50**
7	गया	2.00	1.00	**3.00**
8	जहानाबाद	0.50	1.00	**1.50**
9	अरवल	0.50	1.00	**1.50**
10	नवादा	1.00	1.00	**2.00**
11	औरंगाबाद	0.50	1.00	**1.50**
12	सारण	1.00	1.00	**2.00**
13	सिवान	1.00	1.00	**2.00**
14	गोपालगंज	1.00	1.00	**2.00**
15	मुजफ्फरपुर	1.00	1.00	**2.00**
16	सीतामढ़ी	0.50	1.00	**1.50**
17	शिवहर	0.30	1.00	**1.30**
18	प0 चम्पारण	0.50	1.00	**1.50**
19	पू0 चम्पारण	0.50	1.00	**1.50**
20	वैशाली	0.50	1.00	**1.50**
21	दरभंगा	1.00	1.00	**2.00**
22	मधुबनी	0.50	1.00	**1.50**
23	समस्तीपुर	0.50	1.00	**1.50**
24	सहरसा	1.00	1.00	**2.00**
25	सुपौल	0.50	1.00	**1.50**
26	मधेपुरा	0.80	1.00	**1.80**
27	पूर्णियाँ	0.50	1.00	**1.50**
28	अररिया	0.40	1.00	**1.40**
29	किशनगंज	0.40	1.00	**1.40**
30	कटिहार	0.80	1.00	**1.80**
31	भागलपुर	1.50	1.00	**2.50**
32	बाँका	0.40	1.00	**1.40**
33	मुँगेर	0.80	1.00	**1.80**
34	लखीसराय	0.50	1.00	**1.50**
35	शेखपुरा	0.50	1.00	**1.50**
36	जमुई	0.50	1.00	**1.50**
37	खगड़िया	0.50	1.00	**1.50**
38	बेगुसराय	1.00	1.00	**2.00**
	कुल योग	**30.00**	**38.00**	**68.00**

(रूपये अड़सठ लाख) मात्र

पत्रांक–54 दिनांक–11-12-14 का अनुलग्नक

Bimbadhar Pradhan 10/12/14
(बी0 प्रधान)
प्रधान सचिव।